UPGK010018452026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–859/2026

कपिल देव सिंह उर्फ कपिल देव निषाद उम्र लगभग 56 वर्ष पुत्र जगदेव निवासी ग्राम सभा–बढ़नी टोला परसौना, थाना–पीपीगंज, जिला गोरखपुर। .....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु०अ०सं०–182/2025
अंतर्गत धारा–115(2), 351(3), 352 बी०एन०एस०
व धारा– 3(1) द,ध, 3(2)(va) SC/ST Act
थाना–पीपीगंज, जनपद–गोरखपुर।

दिनांक 04–04–2026

आवेदक/अभियुक्त **कपिल देव सिंह उर्फ कपिल देव निषाद** की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र स्वयं द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो लंबित है, न दाखिल है और न ही निस्तारित है।

अधिनियम की धारा–15(ए)(5) एस0सी0/एस0टी0एक्ट के अनुपालन में वादी मुकदमा/पीड़ित पक्ष पर नोटिस का तामीला प्राप्त है, किन्तु वह व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नही है।

अभियोजन कथानक सक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी गुड़िया देवी पत्नी देवेन्द्र कन्नौजिया पता ग्राम–बढ़नी, टोला बड़का परसौना, थाना–पीपीगंज की निवासिनी हूँ। दिनांक 23/05/2025 को करीब सुबह में 11 बजे प्रार्थिनी के बेटे गौरीशंकर पुत्र देवेन्द्र व गाँव के युवक केडी निषाद पुत्र कपिल पता उपरोक्त के बीच खेल–2 मे कहा–सुनी हो गई। जिसके उपरान्त उक्त विपक्षी केडी ने जमीन पर पटककर मेरे बेटे गौरीशंकर को गन्दी–2 गालियों देते हुये जमीन पर पटक कर लात–घूंसो से मारा–पीटा जिससे बेटे के शरीर में कई जगह चोटे लगी है। उक्त झगड़े के उपरान्त उक्त युवक के परिवार के लोग मेरे घर पर आकर भद्दी–2 गालियों व अपशब्द बोलते हुये जान–माल की धमकी दिये हैं। उक्त लोग मनबढ़ व गुटबन्द किस्म के हैं। अतः आप महोदय से विनती है कि रिपोर्ट दर्ज करके उक्त विपक्षी के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण मिथ्या मनगढ़ंत तथ्यों से परे है इसमें लेश मात्र की वास्तविकता नहीं है। प्रार्थी बिल्कुल निर्दोष है कोई अपराध नहीं किया है। वस्तुस्थिति यह है कि इस प्रकरण की वादिनी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट खुब सोच समझ कर सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त करने के लिए बिलम्ब से दर्ज कराई गई है। वादिनी मुकदमा के लड़के को प्रार्थी और उसके लड़के ने न तो मारा–पीटा है और न ही जातिसूचक गालियों दिया है और न ही जान माल की धमकी दिया है और न ही उसे जातिसूचक शब्दो का प्रयोग करते हुए अपमानित किया है। वादिनी मुकदमा और गाँव के तमाम लड़के खेल रहे थे खेलते समय आपस में कहा–सुनी कर लिए थे जिसका फायदा उठाकर वादिनी मुकदमा ने पुलिस

के सहयोग से फर्जी मुकदमा लिखवाई है। वादिनी मुकदमा के अनुसार उसके लड़के को गम्भीर चोट बता रही है लेकिन उसके बाद भी चोटहिल का डाक्टरी मोआईना 21 दिन बाद कराया गया है जिसमें मात्र कम्पलेन्ट आफ पेन लिखा गया है। वादिनी मुकदमा के अनुसार उसके पुत्र व पति को चोट पहुँचाना बताया जा रहा है लेकिन तथ्य को छुपाने के लिए जानबूझकर अपने पुत्र का डाक्टरी मुआइना अति बिलम्ब से कराई गई है। उसके पति के शरीर पर सिर्फ बॉये हिस्से में ही चोट दर्शाया गया है जो सन्देह उत्पन्न करता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी जाति सूचक शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बाद में वादिनी मुकदमा ने सहायता राशि पाने हेतु जाति सूचक शब्द बी०एन०एन०एस० 180 के बयान में प्रयोग की है। उक्त समस्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, आवेदक/अभियुक्त को यदि जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत का दुरूपयोग करेगा। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

जमानत प्रार्थना पत्र के साथ सम्बन्धित थाना पुलिस द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध मुख्य रूप से वादी मुकदमा के लड़के को गाली गुप्ता देते हुए लात–घूंसो से मारने पीटने और जान से मारने की धमकी देने का अभियोग लगाया गया है। चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर द्वारा चोटहिल को आई सभी चोटें साधारण प्रकृति की कठोर कुन्द से कारित बतायी गयी है तथा एक्सरे रिपोर्ट में NAD अंकित है। आवेदक/अभियुक्त अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया है तथा वह न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अभिरक्षा में है, जिसके दुरूपयोग के संबंध में कोई तथ्य अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सत्येन्द्र कुमार अंतिल प्रति केन्द्रीय ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन व अन्य (2021) 10 एस.सी.सी. 773** तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Application u/s** 528 **BNSS No**. 6400 **of** 2025 **Smt**. **Bacchi Devi vs**. **State of U.P**. **and other** [**Netural Citation No**. 2025: **AHC**:136034] में दिये गये दिशा निर्देशों के आधार पर तथा उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **कपिल देव सिंह उर्फ कपिल देव निषाद** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र (**संख्या–859/2026**) स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र व संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि की दो प्रतिभूं तथा इस आशय का अंडरटेकिंग कि वह भविष्य में प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या जरिये अधिवक्ता उपस्थित होता रहेगा, विचारण में सहयोग करेगा एवं गवाह के आने पर कोई स्थगन नहीं लेगा, दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

(प्रवीण कुमार सिंह–द्वितीय)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस०सी०/एस०टी० एक्ट), गोरखपुर
I.D. No.–UP6051

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR SINGH
Date: 2026.04.04 16:56:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court